न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(**RAS**)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
239/2012	07.09.2012	27.07.2022

अनुवान

1. गोपी पुत्र सुखेदव (मृतक)
   1/1. सुरेन्द्र कुमार
   1/2 कुलदीप पुत्रान् इन्द्राज पौत्र गोपीराम
   1/3 मंजू
   1/4 सविता पुत्रीयान् इन्द्राज पौत्री गोपीराम
   1/5 सीमा
   1/6 अक्षरा पुत्रीयान रूडाराम पौत्री गोपीराम
   1/7 राजबीर पुत्र गोपीराम जातियान अहीर निवासीयान सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2. मूर्ति देवी पत्नी गोरधन
3. संजय कुमार पुत्र गोरधन
4. रामकला पत्नी लख्मीचंद (मृतक)
   4/1. हितेश उर्फ रिंकू पुत्र रामकला
   4/2 हिमानी पुत्री रामकला जातियान अहीर निवासीयान सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल
2. दयाराम पुत्रान् नेतराम उर्फ नोतराम
3. सुबेसिंह
4. बलवंत पुत्रान् पतराम
5. रूपकौर पत्नी पतराम जातियान अहीर निवासीयान सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 18:00:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

6. कलावती पत्नी जगमालसिंह जाति अहीर निवासी भिवाडा की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर

7. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक मय इन्द्राज दूरूस्ती
वो हु0 ई0 दवामी अर्न्तगत धारा 88, 89
व 188 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थितिः– श्री रणवीर सिंह यादव – वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक – 27.07.2022

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाए जाने निर्णय पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आए। वादीगण के बाद का सारतः रहा कि हाल ख0 नं0 152/0.43, 167/0.15, 337/0.40, 339/0.28, 338/0.35, 146/0.19 हे0 वाके ग्राम बाबद तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर आराजी साबिक ख0 नं0 92 मिन रकबा 0–12 बिस्वा, 70 मिन रकबा 0–15, 71 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 113 मिन रकबा 1–12 बीघा, 113 मिन रकबा 1–8 बीघा, 112 रकबा 1–2 बीघा से पैमूद हुए हैं जो वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। हम वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 के मौरूसे आला सुखदेव थे। मृतक सुखदेव के 4 लड़के नेतराम प्रति0 सं0 1 व 2 का पिता, पतराम प्रति0 सं0 3 लगायत 5 के पिता व पति, गोपी मिन वादी सं0 1 व गोरधन वादी सं0 2 लगायत 4 के पति/दादा थे जिनकी हम संताने हैं। सजरा परिवार शामिल वादपत्र है। विवादित आराजी हम वादीगण के पिता/दादा सुखदेव की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसे वे अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त किया करते थे तथा मृत्यु उपरांत उनके चारों पुत्रों नेतराम, पतराम, गोपी, गोरधन को समान भाग में विरासत से प्राप्त हुई थी व समान रूप से काबिज होकर काश्त किया करते थे। विवादित आराजी हम वादीगण व प्रति0 सं0 1 लगायत 5 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी है। आराजी में वादी सं0 1 का 1/4 भाग व वादी सं0 2 लगायत 4 का 1/4 भाग, प्रति0 सं0 1 व 2 का 1/4 भाग तथा प्रतिवादी सं0 3 लगायत 5 का 1/4 भाग है तथा इसी कदर हम सामलात में काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रति0 1 लगायत [illegible] व चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति है जिन्होंने प्रति0 सं0 7 व उनके अधिनस्थ कर्मचारियों से साजबाज होकर अपने नाम का राजस्व रिकॉर्ड का अपने हिस्से से अधिक [illegible] अंकन ता हाल चला रहा है एवं सरीहन गलत [illegible] का विपरीत रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हुआ है जिस गलत अंकन के कारण हक ह[illegible] वादीगन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 18:00:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

आवरण छा गया है जिस हेतु दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है। प्रतिवादी सुबेसिंह ने अपने नाम अंकित भूमि का भाग प्रति0 सं0 6 कलावती देवी को बेचान कर दिया जिसके नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। अतः जो आराजी सुबेसिंह ने बेचान की है वो उनके हिस्से में से कम की जावे का निवेदन करते हुए वादपत्र धारा 88, 89, 53, 188 राज0 काश्त अधिनियम 1955 का पेश किया है एवं प्रकरण में आराजी मुतनाजा के तकाशमा कराने के अनुतोष को विड्रॉ कराए जाने हेतु अन्तर्गत धारा आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का पेश किया जाकर वाद विधिवत सुनवाई उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जा चुका है ऐसी स्थिति में डिकी इश्तकरारहक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर घोषित किया जावे की विवादित आराजियात के 1/4 भाग का वादी सं0 1 एवं 1/4 भाग के वादी सं0 2 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं जो गलत अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है उसे हजफ किया जाकर वादीगण के नाम का उक्तानुसार अंकन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड फरमाया जावे एवं जरिये हु0ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी के 1/2 भाग से वादीगण को बेदखल ना करे ना ही कब्जाकाश्त वादीगण में किसी भी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करे आदि का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधीवत तलबी प्रति0 सं0 3, 4, 5, 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 6 को वास्ते पेश करने जवाब दावा बार–बार अवसर, अंतिम अवसर दिए जाने उपरांत उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सं0 2067–70 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2015 किता 4 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2015 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2011–14 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं0 2014–19 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2018 प्रदर्श–6, नकल इंतकाल सं0 21 प्रदर्श–7, नकल इंतकाल सं0 104 प्रदर्श–8 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र सुरेंद्र पी0 डब्ल्यू–1, सुबेसिंह पी0 डब्ल्यू–2, संजय यादव पी0 डब्ल्यू–3 पेश किए जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए एवं वादीगण द्वारा उक्तानुसार वादपत्र की ताईद दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–8 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत पी0 डब्ल्यू–1 से 3 का अभिकथन करते [illegible]त अराजियात पूर्वज सुखेदव की होना जाहिर करते हुए पू[illegible] गोपी, गोरधन होने का अभिकथन करते हुए [illegible]नुसार के सुखदेव के चारों पुत्रों का वारिसान होना जो मुताबिक प्रस्तुत नकल इंतकाल विरासत सं0 21 प्रदर्श–7 संभाग में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने से स्पष्ट हो[illegible]ने का अभिकथन करते हुए एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम का राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 18:00:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

अपने–अपने हिस्से से अधिक अंकन करा लिया जाना एवं उक्त अंकन ता हाल चला आ रहा होना जो अंकन सरीहन गलत खिलाफ कानून एवं खिलाफ मोका विपरीत रिकॉर्ड ऑफ राईट्स के होने का अभिकथन करते हुए एवं प्रतिवादी सुबेसिंह द्वारा अपने स्वयं के नाम अंकित भूमि के भाग को प्रतिवादी सं0 6 कलावती देवी को बेचान कर दिया जाना तथा मुताबिक बेचान कलावती देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा हे का कथन करते हुए जो आराजी सुबेसिंह ने बेचान की है उसे सुबेसिंह के हिस्से में से कम करते हुए विवादित आराजियात में वादीगण को हिस्सेनुसार 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन करते हुए वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किए जाने का अभिकथन किया साथ ही प्रतिवादीगण को वादीगण के उक्त 1/2 भाग पर किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करने बाबत हु0ई0 दवामी से पाबंद किए जाने का निवेदन रहा।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिए जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार्य योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के हाल आराजी ख0 नं0 152/0.43, 167/0.15, 337/0.40, 339/0.28, 338/0.35, 146/0.19 है0 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वाद को वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिए जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर वाद वादीगण डिकी किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण तथा प्रतिवादीगण के नाम के हो रहे अकंन को हजफ करने के आदेश दिए जाते है एवं उसके स्थान पर विवादित आराजीयात में से वादीगण को हिस्सेनुसार 1/2 भाग का एवं शेष 1/2 भाग के बाबत प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 को हिस्सनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही प्रतिवादी सं0 3 सुबेसिंह पुत्र पतराम को उक्तानुसार मिलने वाले हिस्से आराजी में से सुबेसिंह द्वारा केता प्रतिवादी सं0 6 कलावती देवी को पूर्व में किये गये विकय अनुसार हिस्सा आराजी का भी अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा [illegible] जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे [illegible] जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 18:00:08 IST
Reason: SelfAttested

27-07-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर (**RAS**)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
239 / 2012	07.09.2012	27.07.2022

// अनुवान //

1. गोपी पुत्र सुखदेव (मृतक)

   1/1. सुरेन्द्र कुमार

   1/2 कुलदीप पुत्रान् इन्द्राज पौत्र गोपीराम

   1/3 मंजू

   1/4 सविता पुत्रीयान् इन्द्राज पौत्री गोपीराम

   1/5 सीमा

   1/6 अक्षरा पुत्रीयान रूडाराम पौत्री गोपीराम

   1/7 राजबीर पुत्र गोपीराम जातियान अहीर निवासीयान सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2. मूर्ति देवी पत्नी गोरधन
3. संजय कुमार पुत्र गोरधन
4. रामकला पत्नी लख्मीचंद (मृतक)

   4/1. हितेश उर्फ रिंकू पुत्र रामकला

   4/2 हिमानी पुत्री रामकला जातियान अहीर निवासीयान सक्तपुरा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर

बनाम

1. धर्मपाल
2. दयाराम पुत्रान् नेतराम उर्फ नोतराम
3. सुबेसिंह
4. बलवंत पुत्रान् पतराम
5. रूपकौर पत्नी पतराम जातियान अहीर निवासीय[illegible]रा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर
6. कलावती पत्नी जगमालसिंह जाति अहीर निवासी [illegible] की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर
7. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 18:00:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरारहक मय हु0ई0 दवामी</u>

<u>–: पर्चा डिक्री :–</u> दिनांक :– 27.07.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.07.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी , मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

वादीगण के हाल आराजी खं0 नं0 152/0.43, 167/0.15, 337/0.40, 339/0.28, 338/0.35, 146/0.19 है0 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वाद को वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिए जाने की स्थिति में स्वीकार योग्य पाये जाने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण तथा प्रतिवादीगण के नाम के हो रहे अकंन को हजफ करने के आदेश दिए जाते है एवं उसके स्थान पर विवादित आराजीयात में से वादीगण को हिस्सेनुसार 1/2 भाग का एवं शेष 1/2 भाग के बाबत प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही प्रतिवादी सं0 3 सुबेसिंह पुत्र पतराम को उक्तानुसार मिलने वाले हिस्से आराजी में से सुबेसिंह द्वारा केता प्रतिवादी [illegible] में किये गये विक्रय अनुसार हिस्सा आराजी का भी अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 18:00:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

खर्चा मुकदमा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

27-07-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 18:00:08 IST
Reason: SelfAttested